कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सूरज बिल्डर्स, रामचन्द्र मार्केट, संजय गॉधीपुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**108 / 11, 15.12.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सूरज बिल्डर्स, रामचन्द्र मार्केट, संजय गॉधीपुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.12.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वह अविभाजित सिविल संविदा का कार्य करते हैं। उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. फर्म द्वारा धारा-6 का लाभ न लेने की स्थिति में टैक्स इनवाइस द्वारा खरीद पर आई0 टी0 सी0 मिलेगी अथवा नहीं।
2. धारा-6 का लाभ लेने पर कर-निर्धारण की दर 2% होगी या 4%।
3. वास्तविक भुगतान की सूचना प्राप्त न होने के कारण यदि अनुमानित रूपपत्र-24 प्रस्तुत किया जाता है तो क्या अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जाना विधिसंगत है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 27.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1634, दिनांक 13.02.2012 से प्रेषित आख्या निम्न प्रकार है :-

1. यह कि फर्म द्वारा धारा-6 का लाभ नहीं लिया जाता है तथा फर्म द्वारा प्रान्तीय खरीद इनवाइस द्वारा की जा रही है तब संविदा में अन्तरित माल डीम्ड सेल माना जाता है, परन्तु आई0 टी0 सी0 अनुमन्य होगी।
2. यह कि व्यापारी द्वारा धारा-6 का लाभ लिया जाता है तो दिनांक 30.12.2010 के पूर्व 2% की दर से तथा इसके उपरान्त 4% की दर से समाधान राशि तथा निष्पादित ठेके की कुल धनराशि की 5% से अधिक माल का प्रयोग किये जाने पर आगणित धनराशि के 6% की दर से समाधान राशि है।
3. यह कि वैट अधिनियम / नियम के अनुसार किसी विशेष / अलग व्यापारी के लिए अलग व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बिना उचित कारण के विलम्ब से जमा किये गये रिटर्न व कर पर अर्थदण्ड की कार्यवाही विधिसंगत है।

....2

4. यह कि किसी विशेष व्यापारियों के लिए अलग नियम कानून बनाना उचित नहीं है सभी व्यापारियों के लिए समान नियम ही उचित है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा आई0 टी0 सी0 की अनुमन्यता, समाधान की दर तथा अर्थदण्ड से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

अत: प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न धारा-59 (1) के प्राविधानों से आच्छादित न होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है एवं अस्वीकार होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी के द्वारा आई0 टी0 सी0 की अनुमन्यता, समाधान की दर तथा अर्थदण्ड से सम्बन्धित पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59(1) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है । अत: धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 31 मार्च, 2014

ह0/- 31-3-2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।